भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 813

जिसका उत्तर 19 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

ग्यारहवें चरण के तहत खानों की नीलामी

813. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत ग्यारहवें चरण में किन-किन खानों को नीलामी के लिए रखा गया है;

(ख) क्या यह सच है कि कई खानों को उपर्युक्त नीलामी सूची से हटा दिया गया है, यदि हां, तो ऐसे खानों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त खानों की नीलामी के संबंध में राज्यों से परामर्श किया गया है; और

(घ) उक्त खानों की नीलामी के संबंध में राज्यों और केन्द्रीय सरकार के बीच हुए पत्राचार का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत ग्यारहवें चरण में नीलामी के लिए रखी गई खानों का ब्यौरा **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

(ख) तथा (ग) : जी, हां। महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री के अनुरोध पर दिनांक 21.07.2020 को बंदेर कोयला खान को नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया गया था क्योंकि यह खान ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व के अंतर्गत आ रही थी और छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर 5 कोयला खानों नामत: फतेहपुर ईस्ट, मदनपुर (उत्तर), मोरगा-II, सयांग तथा मोरगा साउथ कोयला खानों को नीलामी प्रकिया से वापस ले लिया गया था क्योंकि ये खानें राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित ऐलिफेंट कोरिडोर के अंतर्गत आ रही थी। उपर्युक्त 5 कोयला खानों के बदले, दिनांक 01.09.2020 को नीलामी प्रक्रिया के लिए छत्तीसगढ़ से 3 कोयला खानों नामत: दोलेसरा, जारकेला एवं झारपलम तंगारघाट कोयला खानों की पेशकश की गई थी।

(घ) : नीलामी का चालू दौर शुरू होने से पूर्व उन राज्य सरकारों जहां कोयला खानें स्थित हैं, के साथ निबंधन एवं शर्तों पर परामर्श किया गया था। कोयला मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक विचार-विमर्श हेतु कोयला खानों/ब्लॉकों की नीलामी के लिए प्रमुख निबंधन एवं शर्तों के संबंध में एक चर्चा पत्र 14.01.2020 को प्रकाशित किया गया था तथा इसकी प्रतियां दिनांक 22.01.2020 के पत्र के माध्यम से सभी कोयलाधारी राज्यों के प्रमुख सचिवों को भेजी गईं थीं। कोयलाधारी राज्य सरकारों से टिप्पणियां मांगी गई थीं तथा उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि नीलाम की जाने वाली 80 कोयला खानों का विस्तृत ब्यौरा सहित अनंतिम सूची सैन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टिट्यूट (सीएमपीडीआईएल) की वेबसाइट पर डाल दी गई है तथा नीलामी का प्रथम दौर वित्त वर्ष 2019-20 में शुरू होना प्रस्तावित है। तत्पश्चात् सचिव (कोयला), भारत सरकार की अध्यक्षता में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 05.02.2020 को एक बैठक हुई थी। कोयला मंत्रालय द्वारा नीलामी हेतु पहचान किए गए 80 कोयला ब्लॉकों के लिए कोयला निकासी मार्ग के संबंध में सीएमपीडीआई, रांची में दिनांक 23.02.2020 को दूसरी बैठक की गई थी।

*****

अनुबंध - I

कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों की नीलामी संबंधी
कोयला खानों की संशोधित सूची

(कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत नीलामी का ग्यारहवां दौर)
(खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत नीलामी का पहला दौर)

क्र.सं.	कोयला खान	अधिनियम	राज्य	श्रेणी
1	ब्रह्माडीह	सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015	झारखंड	पूर्ण रूप से अन्वेषित
2	चकला	सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015	झारखंड	पूर्ण रूप से अन्वेषित
3-4	चेंदीपाडा एवं चेंदीपाडा II	सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015	ओडिशा	पूर्ण रूप से अन्वेषित
5	चित्रापुर	सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015	झारखंड	पूर्ण रूप से अन्वेषित
6	चोरीटांड तिलैया	सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015	झारखंड	पूर्ण रूप से अन्वेषित
7	गारे-पाल्मा-IV/1	सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015	छत्तीसगढ़	पूर्ण रूप से अन्वेषित
8	गारे-पाल्मा-IV/7	सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015	छत्तीसगढ़	पूर्ण रूप से अन्वेषित
9	गोंदुलपारा	सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015	झारखंड	पूर्ण रूप से अन्वेषित
10-11	गोतीतोरिया (ईस्ट) एवं गोतितोरिया (वेस्ट)	सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015	मध्य प्रदेश	पूर्ण रूप से अन्वेषित
12-13	मछकाटा एवं महानदी	सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015	ओडिशा	पूर्ण रूप से अन्वेषित
14	मर्की बरका	सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015	मध्य प्रदेश	पूर्ण रूप से अन्वेषित
15	मर्की मंगली II	सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015	महाराष्ट्र	पूर्ण रूप से अन्वेषित
16	नार्थ धाडू	सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015	झारखंड	पूर्ण रूप से अन्वेषित
17	राधिकापुर (ईस्ट)	सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015	ओडिशा	पूर्ण रूप से अन्वेषित
18	राधिकापुर (वेस्ट)	सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015	ओडिशा	पूर्ण रूप से अन्वेषित
19	राजहारा नार्थ (सेन्ट्रल एवं ईस्टर्न)	सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015	झारखंड	पूर्ण रूप से अन्वेषित

20	सेरेंगरहा	सीएम (एसपी) अधिनियम, **2015**	झारखंड	पूर्ण रूप से अन्वेषित
21	शाहापुर ईस्ट	सीएम (एसपी) अधिनियम, **2015**	मध्य प्रदेश	पूर्ण रूप से अन्वेषित
22	शाहापुर वेस्ट	सीएम (एसपी) अधिनियम, **2015**	मध्य प्रदेश	पूर्ण रूप से अन्वेषित
23	शंकरपुर भटगांव **II** विस्तार	सीएम (एसपी) अधिनियम, **2015**	छत्तीसगढ़	पूर्ण रूप से अन्वेषित
24	सोंधिया	सीएम (एसपी) अधिनियम, **2015**	छत्तीसगढ़	पूर्ण रूप से अन्वेषित
25	तकली-जेना-बेल्लोरा (नार्थ) एवं तकली-जेना-बेल्लोरा (साउथ)	सीएम (एसपी) अधिनियम, **2015**	महाराष्ट्र	पूर्ण रूप से अन्वेषित
26	थेसगोरा-बी / रूद्रपुरी	सीएम (एसपी) अधिनियम, **2015**	मध्य प्रदेश	पूर्ण रूप से अन्वेषित
27	उर्तन नार्थ	सीएम (एसपी) अधिनियम, **2015**	मध्य प्रदेश	पूर्ण रूप से अन्वेषित
28	ऊर्मा पहाड़ीतोला	सीएम (एसपी) अधिनियम, **2015**	झारखंड	आंशिक रूप से अन्वेषित
29	बंधा	एमएमडीआर अधिनियम, **1957**	मध्य प्रदेश	आंशिक रूप से अन्वेषित
30	ब्रह्मनबिल एवं कर्दाबहल	एमएमडीआर अधिनियम, **1957**	ओडिशा	पूर्ण रूप से अन्वेषित
31	धिरौली	एमएमडीआर अधिनियम, **1957**	मध्य प्रदेश	पूर्ण रूप से अन्वेषित
32	दोलेसरा	एमएमडीआर अधिनियम, **1957**	छत्तीसगढ़	पूर्ण रूप से अन्वेषित
33	जरेकेला	एमएमडीआर अधिनियम, **1957**	छत्तीसगढ़	आंशिक रूप से अन्वेषित
34	झरपालम तंगरघाट	एमएमडीआर अधिनियम, **1957**	छत्तीसगढ़	आंशिक रूप से अन्वेषित
35	कुरालोई (ए) नार्थ	एमएमडीआर अधिनियम, **1957**	ओडिशा	पूर्ण रूप से अन्वेषित
36	मरवातोला सेक्टर-**VI** एवं सेक्टर-**VII**	एमएमडीआर अधिनियम, **1957**	मध्य प्रदेश	पूर्ण रूप से अन्वेषित
37	फुलझरी **(**ईस्ट एवं वेस्ट**)**	एमएमडीआर अधिनियम, **1957**	ओडिशा	पूर्ण रूप से अन्वेषित
38	उर्तन	एमएमडीआर अधिनियम, **1957**	मध्य प्रदेश	पूर्ण रूप से अन्वेषित

टिप्पणी: उपर्युक्त सूची सांकेतिक है। खानों को सूची से जोड़ा / हटाया जा सकता है।